भाखड़ा विद्युत घर पर 90 मै.वा अतिरिक्त क्षमता जोड़ने पर बीबीएमबी ने कार्बन क्रैडिट्स अर्जित किये

भाखड़ा विद्युत घर पर 90 मै.वा अतिरिक्त क्षमता जोडने पर बीबीएमबी द्वारा स्वच्छ-विकास-क्रियाविधि (सीडीएम) अपनाने पर कार्बन क्रैडिट्स अर्जित किये

स्वच्छ-विकास-क्रियाविधि (सीडीएम)

ग्रीन हाऊस गैसिज़ (जी.एच.डी.) नामत :-

कार्बन डायआक्साइड, मिथेन, निट्रॉसआक्साइड, हाइड्रोफलोरो कार्बन,परफलोरोकार्बन, सल्फरहैक्साफलोराइड, विश्वव्यापी उष्णता एवं पर्यावरण बदलाव के मुख्य कारक हैं । इन ग्रीन हाऊस गैसिज़ के प्रवाह को कम करने के प्रयास किये जा रहें हैं। यूएनएफसीसीसी (यूनाईटिड नेशंज़ फ्रेमवर्क कन्वेंशन आफॅ कलाइमैंट चेंज) ने क्योटो प्रोटोकॉल जोकि फरवरी, 2005 में 140 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, में एक अन्तरराष्ट्रीय समझोते पर हस्ताक्षर किये जिसमें पर्यावरण में गैसों के प्रवाह को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये (2008-12 के प्रथम वचनावधि के अन्तर्गत ग्रीन हाऊस गैसिज़ के उनके 1990 के स्तर से 5.4% प्रवाह को कम करना) संबंधित प्रवाह को कम करने हेतू विश्व के देशों ने स्वच्छ-विकास-क्रियाविधि (सीडीएम) की विधि को अपनाया ।

स्वच्छ-विकास-क्रियाविधि (सीडीएम) परियोजना क्रियाशीलता से ट्रेडेबल कार्बन क्रैडिट्स या सीइआर (सर्टिफाईड इमिशन रिडक्शनज़) उत्पन्न करते हैं जिनका शेयर के तुल्ये शेयर बाजार में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार किया जा सकता है। बीबीएमबी ने स्वच्छ-विकास-

क्रियाविधि (सीडीएम) परियोजना के मानदंण्डों को प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर ली है नामत:-

1. नवीनीकरण, आधुनिकीकरण व अद्यतन (आरएमएण्डयू) की क्रियायें बीबीएमबी के लिए सामान्यत: व्यापार नहीं था अपितु अतिरिक्त कार्य थे।
2. पर्यावरणीय दृष्टि से यह परियोजना अतिरिक्त ग्रीन हाऊस गैसिज़ के प्रवाह को कम करेगी अन्यथा फोसिल ईधन पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इससे अधिक गैसें उत्पन्न करता।
3. स्वच्छ विकास क्रियाविधि परियोजना में बीबीएमबी द्वारा स्वैच्छिक हिस्सेदारी है।
4. क्षेत्र के स्थिर विकास में स्वच्छ विकास क्रियाविधि परियोजना का योगदान है।

यह अनुमान है कि वर्ष 2013 के अन्त तक 90 मै.वा के अतिरिक्त क्षमता हेतू मशीनों का आरएमएण्डयू पूर्ण कर लिया जायेगा तथा दिसम्बर, 2013 तक 2,40,000 सीईआर की बिक्री द्वारा 13 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

बीबीएमबी द्वारा अपने जल विद्युत घरों की आरएमएण्डयू के अन्तर्गत होने वाली सीईआर की बिक्री के लिए स्वच्छ विकास क्रियाविधि परियोजना विश्व बैंक द्वारा वचनबद्ध की गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मेजबान राष्ट्र की स्वीकृति दे दी गई है।

दिसम्बर,2013 तक बीबीएमबी द्वारा 2,40,000 सीईआर यूरोओ9/सीईआर की दर से प्रवाह निरोधक बिक्री समझौता (ईआरपीए) विश्व बैंक के साथ कर दिया गया है। यूएनएफसीसीसी से सीईआर की बिक्री का पंजीकरण लंबित है। दूसरा प्रवाह निरोधक बिक्री समझौता (ईआरपीए) जोकि 5,65,000 सीईआर 31, दिसम्बर 2013 तक बिक्री करने का है, उसकी क्रिया विधि आरम्भ कर दी गई है।

<u>कार्बन-क्रैडिट क्या है</u>

जैसे जैसे विभिन्न देश प्रगति कर रहें हैं वे कार्बन व अन्य गैसे पर्यावरण में प्रवाहित कर रहें है जोकि विश्व को उष्णता प्रदान कर रहा है। कुछ दशक पूर्व यह चर्चा आरम्भ हुई कि गैसों का प्रवाह जोकि ग्रीन हाऊस को प्रभावित कर विश्वव्यापक उष्णता उत्पन्न करता है उसे किस प्रकार कम किया जाये। इसलिए विभिन्न देश एकजुट हुये और एक समझौता जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, हस्ताक्षरित किया गया ।

क्याटो प्रोटोकॉल ने एक क्रियाविधि आरम्भ की जिससे के अन्तर्गत वे देश जो अधिक कार्बन व अन्य गैसें पर्यावरण में प्रवाहित करते हैं (ग्रीन हाऊस गैसों में

सम्मलित ओजॉन, कार्बनडायआक्साइड, मिथेन, निट्रोसआक्साइड और जल वाष्पीकरण भी) उन्होने स्वैच्छिक निर्णय लिया कि पर्यावरण में गैसों का स्तर 1990 के दशक के आरम्भ के स्तर से कम कर देगें ।

विकसित देश जो अधिकतर यूरोप के हैं, उन्होने कहा कि वे 2008 से 2012 तक पर्यावरण में कार्बन का स्तर कम कर देगें । वर्ष 2008 में इन विकसित देशों ने अपने यहां स्थित फैक्ट्रीयों तथा कराखानों से निकलने वाली गैसों की न्यूनतम मात्रा का स्तर विभिन्न नियमो के तहत तय किया ।

कारखानों द्वारा पर्यावरण में गैसों के प्रवाह को कम करने के दो तरीके हैं । पहला नई तकनीक को अपना कर या मौजूदा तकनीक को नये नियमो की पालना कर बेहतर बनाये या विकासशील देशों के साथ समझौता करके जोकि इकोफ्रैंडली हो, स्थापित करें जिसके परिणाम स्वरूप विकासशील देश या उनकी कम्पनीं यह लाभ (क्रैडिट) प्राप्त कर सके।

भारत, चीन व अन्य ऐशियाई देशों को यह लाभ है कि वे विकासशील देश हैं। भारत में स्थित कोई भी कम्पनी व कारखाना या खलिहान मालिक अपने आपको यूएनएफसीसीसी के साथ जोड सकता है ताकि वह अपने कारखानें में तय किये गये कार्बन प्रवहन के मापदण्डों को जान सकें । जितना कार्बन का प्रवाह पर्यावरण में कम किया जायेगा (यूएनएफसीसीसी द्वारा तय किये गये मापदण्डों के अनुसार) विकासशील देशों में उसका लाभ मिलेगा। इसे कार्बन क्रैडिट कहते हैं।

ये लाभ विकसित देश की कम्पनियों द्वारा लिये जाते हैं जोकि मुख्यत: यूरोप की हैं – क्योंकि अमेरिका द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।